यह निरीक्षण प्रतिवेदन जिला क्रीडा अ धकारी गोपेश्वर द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार कया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी कसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय जिला क्रीडा अ धकारी गोपेश्वर के माह 03/2016 से 12/2017 तक के लेखा अ भलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री मुन्ना राम लेखापरीक्षक तथा श्री अजय कुमार सचान सहायक लेखापरीक्षा अ धकारी द्वारा श्री महेन्द्र तिवारी वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी के पर्यवेक्षण में दिनांक 24.01.2018 से 29.01.2018 तक सम्पादित कया गया।

भाग-I

1. परिचयात्मकः इस इकाई की वगत लेखापरीक्षा श्री दया शंकर व. लेखापरीक्षक एवं श्री रामवीर संह तथा श्री राज बहादुर सहा. लेखापरीक्षा अ धकारी द्वारा दिनांक 05.03.2016 से 15.03.2016 तक श्री सुनील कल्ला वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 06/2013 से 02/2016 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 03/2016 से 12/2017 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी

(i) इकाई के क्रयाकलाप एवं भौगो लक अ धकार क्षेत्रः- जिला खेल कार्यालय, कोपेश्वर जनपद चमोली में 11 खेलों में बालक /बा लकाओं को प्र शत्रण प्रदान कया जा रहा है तथा जिला स्तरीय प्रतियो गताओं एवं क्रीड़ा प्रतिष्ठानों का निर्माण भी कराया जाता है। बालक वालीबाल का आवासीय क्रीड़ा छात्रावास संचा लत कया जा रहा है।

(ii) (अ) वगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(₹ लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आ धक्य (+)	बचत (-)
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2015-16			28.54	25.58	118.50	113.03	_	8.43
2016-17			29.58	26.99	66.53	66.53	_	2.59
2017-18 12/2017			30.67	21.36	57.50	37.29	_	29.52

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त नि ध एवं व्यय ववरण निम्नवत हैः-

(₹ लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रा. अवशेष	प्राप्त	व्यय	बचत (-)
शून्य					

(iii) इकाई को बजट आवंटन उत्तराखण्ड सरकार द्वारा कया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मि लत न करते हुए इकाई "C" श्रेणी की है। वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

1. स चव 2. अपर स चव खेल 3. निदेशक खेल 4. अपर निदेशक खेल 5. संयुक्त निदेशक खेल 6. उप निदेशक खेल 7. सहायक निदेशक खेल

2. जनपद स्तरः- 1. जिला क्रीडा अ धकारी 2. वरिष्ठ प्रशासनिक अ धकारी 3. इलैक्ट्री शयन कम टयूवबैल आपरेटर 4. ग्राउण्ड स्टाफ।

IV लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व धः लेखापरीक्षा में जिला क्रीडा अ धकारी गोपेश्वर को आच्छादित कया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वतरण अ धकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी कये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन जिला क्रीडा अ धकारी गोपेश्वर की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2017 व 12/2017 को वस्तृत जांच हेतु चयनित कया गया। जिला क्रीडा अ धकारी गोपेश्वर का वश्लेषण कया गया। प्रतिचयन योजनान्तर्गत कये गये व्यय जिला क्रीडा अ धकारी गोपेश्वर के आधार पर कया गया।

(vi) लेखापरीक्षा भारत के सं वधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा की शर्ते) अ धनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

STAN

प्रस्तर 1- निष्प्रोयज्य सामग्री की 13 वर्ष बाद भी नीलामी न कया जाना।

सामान्य वत्तीय नियम 192 के अनुसार वर्ष में कम से कम एक बार भंडार का भौतिक सत्यापन कया जाना चाहिए एवं नियम 196 और 197 के अनुसार अनुपयोगी सामग्री को निष्प्रयोज्य घो षत कर उसकी यथा शीघ्र नीलामी की जानी चाहिए, ता क उक्त सामग्री को और मूल्य ह्रास से बचाया जा सके। इकाई की भंडार पंजिका की जांच में पाया गया क वर्ष 2003-04 में भंडार का भौतिक सत्यापन कया गया था, आगे अ भलेखों की जांच में पाया गया क 2003-04 के पश्चात अब तक भंडार का भौतिक सत्यापन नही कया गया साथ ही निष्प्रयोज्य सामग्री की सूची तैयार नही की गयी जिससे आति थ नीलामी न कए जाने के कारण अनुपयोगी सामग्री का निरंतर मूल्य ह्रास हो रहा था। जिसके कारण उक्त सामग्री की नीलामी से प्राप्त होने वाली वभागीय प्राप्तियों की हाँनि हो रही थी।

लेखापरीक्षा में इं गत कए जाने पर जिला क्रीड़ा अ धकारी ने उत्तर दिया की नीलामी हेतु स मति का गठन कर अति शीघ्र नीलामी की कार्यवाही की जायगी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्यों क सामग्री के निष्प्रयोज्य घो षत होने के 13 वर्ष बाद भी नीलामी हेतु कोई कार्यवाही नही की गयी।

अतः प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
227/2015-16	-	01
12/2013-14	-	01

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
अनुपालन आख्या अप्रस्तुत				

<u>भाग-**IV**</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अव ध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अ भलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु जिला क्रीडा अ धकारी गोपेश्वर तथा उनके अ धकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथा प लेखापरीक्षा में निम्न ल खत अ भलेख प्रस्तुत नहीं कये गयेः शून्य

2. सतत् अनिय मतताएः

   (i) Nil

3. लेखापरीक्षा अव ध में निम्न ल खत अ धकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन कया गया

क्र.सं.	नाम	पदनाम	अव ध
1	श्री भवन चन्द्र पन्त	जिला क्रीड़ा अ धकारी	13.10.15 से 30.12.16
2	श्री सुरेश चन्द्र पाण्डेय	जिला क्रीड़ा अ धकारी	31.12.16 से वर्तमान तक

लघु एवं प्र क्रयात्मक अनिय मतताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मि लत कर एक प्रति जिला युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अ धकारी को इस आशय से प्रे षत कर दी जायेगी क अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार/ (सामाजिक क्षेत्र) को प्रे षत कर दी जाय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी/सा.क्षे.